न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 08/2014

1. शान्तिदेवी बेवा रामकुमार उर्फ लालचन्द
2. कालूराम पुत्र रामकुमार उर्फ लालचन्द
3. प्रकाश पुत्र रामकुमार उर्फ लालचन्द

जाति वाल्मिकी निवासी सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. गोविन्द पुत्र रामकिशन जाति चमार–मृतक

1/1 रेवन्तराम पुत्र गोविन्द जाति चमार–मृतक

1/1/1 मीरा पत्नी रेवन्तराम

1/1/2 मानाराम

1/1/3 शंकरलाल

1/1/4 रूपाराम

1/1/5 मुखराम

1/1/6 चुन्नीराम

1/1/6 ईमताराम

1/1/7 मूलाराम

पि. रेवन्तराम जाति मेघवाल निवासीगण सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/2 सुरजाराम पुत्र गाविन्द जाति चमार निवासी सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

1/3 नाथी देवी पुत्री गोविन्द जाति चमार– मृतक

1/3/1 वीरूराम

1/3/2 सरदाराराम

पुत्रगण नाथी देवी पत्नी जगराज जाति मेघवाल निवासी मैनावाली तह. व जिला हनुमानगढ।

2. कान्ता देवी
3. कृष्णा देवी
4. दुर्गा देवी

पुत्रियां रामकुमार जाति वाल्मिकी निवासी सरदारपुराखर्था तह. सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–रा.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़

दिनांक 14.09.1982

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक रेस्पो.

श्री विनोद विश्नोई, रेस्पों. सं. 2 ता 4

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 29.09.2017**

अपीलांट द्वारा यह अपील भूमि अवाप्ति अधिकारी सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 14.09.1982 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा चक 3 आर.जे.एम. के प. नं. 141/63 के कि. नं. 1 ता 22 की 21.16 बीघा भूमि रेस्पों. सं. 1 के नाम घग्घर तबादला में दिया गया है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट के पति व पिता को विवादित भूमि दिनांक 29.12.1975 को आवंटित हुई थी। उक्त भूमि दिनांक 14.09.1982 को रेस्पों. सं. 1 को तबादला में दे दी जो गैर कानूनी है। इस प्रकार इस भूमि का तबादला नहीं दिया जा सकता। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने बिना पक्षकार बनाए पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी

श्रीगंगानगर (राज.)

स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा यह अपील 31 वर्ष विलम्ब से पेश की है। देरी बाबत समुचित कारण अंकित नहीं किए हैं। अपीलांट व रेस्पों. एक ही गांव के निवासी हैं जिन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी थी। इसके अलावा रेस्पों. को भूमि तबादला में दी गई थी जिससे अपीलांट प्रभावित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.09.1982 के विरूद्ध दिनांक 27.12.2013 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किए हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित हैं एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों से सहमत होकर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जाती है।

अपील का सार बिन्दु यह है कि अपीलांट शांतिदेवी के पति व कालूराम व प्रकाश के पिता रामकुमार व ओमप्रकाश के पिता श्योलाल को विवादित आराजी दिनांक 29.12.1975 को राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975) के अधीन कृषि भूमि का आवंटन किया गया। सन्दर्भ आदेश प्र.पत्र XII नियम 13 (8) पत्रावली पर उपलब्ध है जिसकी Terms and conditions भी अंकित है चूंकि आदेश (राजस्थान उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (8) के तहत किया गया है। जिसकी Bare- readings है कि " The allotment order

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

shall be issued by the Allotting Authority to the allottee in the prescribed Form XII through a registered letter with A.D. The allotment shall be cancelled if the allottee does not turn-up and take possession of the allotted land within three months from the service orf the allotment order.". यह Burden of proof के अपीलांट पर है कि उसके द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा लिया हो जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से साबित नहीं है तथा निर्धारित प्रपत्र में जारी आवंटन आदेश में किश्तें जमा करवाने का विवरण दिया हुआ है, की पालना में किश्त जमा करवाना भी साबित नहीं है। अतः उपरोक्त नियमों के नियम 13 (8) अनुसार आवंटन निरस्त होना होने के Relevant दस्तावेज पठनीय है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा विनिमय पत्र में अंकन है कि उपरोक्त आराजी विवादग्रस्त नहीं है तथा कैफियत के कॉलम में भी अपीलांट के पूर्व आवंटन का कोई इन्द्राज नहीं है। अतः अपीलांट का यह कहना गलत है कि आवंटन निरस्त किए बगैर रेस्पों. को तबादला भूमि के रूप में आवंटन किया है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय सिद्धान्त आरबीजे 2006 पेज 233 पन्नाराम बनाम राज्य सरकार निर्णय दिनांक 19.09.2005 पेश किया है में Held किया है कि

" Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Government Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area), Rules, 1975. Rule 13- Land already allotted canoot be re-allotted without cancelling previous allotment- In this case, land which was already allotted was re- allotted to other person. Wheras without cancelling the previous allotment land cannot be re allotted."

राजकीय अभिभाषक ने यह सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य नहीं बताया है क्योंकि इस न्याय सिद्धान्त में द्वितीय आवंटन के वक्त विवादित आराजी नियम 8(2) के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। प्रकरण हाजा की

29/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विवादित भूमि आवंटन की तिथि दिनांक 29.12.1975 से 3 माह बाद दिनांक 29.03.1976 को नियम 13(8) के अनुसार रकबाराज होकर आवंटन के लिए उपलब्ध थी जोकि सन् 1982 को रेस्पों. को आवंटित हुई थी। अतः यह नजीर प्रकरण हाजा के लिए Irrelavant बताई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत आर.आर.टी. 2001 पेज 1087 सिविल डीबी सिविल नं. 1136/2000 तुलसाराम बनाम धुड़ाराम निर्णय दिनांक 05.01.2001 में Held किया है कि " Rajasthan Colonisation (Allotment & Sale of Govt. Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area), Rules, 1975. Rule 13B- Allotment should not be made to suffer for the mistake committed by the officer For no fault of first respondent the allotment made in his favour in the year 1989 cabbit be cabcekked ub 1991." राजकीय अभिभाषक द्वारा यह नजीर प्रकरण हाजा पर चस्पा योग्य नहीं बताया है क्योंकि प्रस्तुत न्याय दृष्टांत में आवंटन अधिकारी की गलती का दण्ड आवंटी को नहीं दिया जा सकता । परन्तु प्रकरण हाजा में आवंटी द्वारा नियम 13 (8) की पालना नहीं की है। अतः यह न्याय दृष्टांत प्रकरण हाजा के लिए Irrelavant है । इसके अतिरिक्त अपीलांट अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर आर.आर.डी 1992 पेज 17 239, आर.आर.डी 1995 पेज 576, 668, आर.आर.डी 1996 पेज 425, आर. आर.डी. 1997 पेज 148 की नजीरें पेश की है। जिनको राजकीय अभिभाषक द्वारा चस्पा योग्य नहीं बताया परन्तु क्यों नहीं है कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं होने से अपीलांट को मियाद अधिनियम की धारा 5 का विलम्ब माफ का लाभ दिया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन, उभय पक्षगण द्वारा की गई बहस पर मनन करने एवं प्रस्तुत न्याय सिद्धान्तों का अध्ययन के पश्चात् यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि विवादित कृषि भूमि रेस्पों. को आवंटन के वक्त निर्विवाद थी तथा नियम 13 (8) की पालना नहीं करने से उनका आवंटन निरस्त की परिधि में आता है, के अलावा 31 वर्ष की समयावधि में रा. का. अधि. 1955 की धारा 63 (IV) में

29/7/13
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट के Right- Extinguish होकर मियाद अधिनियम 1963 के पार्ट – IV का Protection रेस्पो. को प्राप्त होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर